

# झारखण्ड विधान सभा

## दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

संख्या-05

षष्ठम् (माँगसून) सत्र

गुरुवार, दिनांक-28 जुलाई, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 03.28 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

### 1. विविध चर्चायें:-

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय राष्ट्रीय कैंप्रेस के माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी बड़कांगंव (हजारीबाग) में दर्ज विभिन्न काण्डों की जाँच से सम्बन्धित पोस्टर लेकर सदन की ओर आ गयी जिसपर आसन ने गहरी नाराजगी जतायी। इसके उपरांत पुनः वे अपने स्थान पर चली गयी और वस्तुस्थिति से आसन को अवगत करायी जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने भी किया। उल्लेखित विषय को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान में लेकर कार्रवाई किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। आसन द्वारा भी सदन को अवगत कराया गया कि श्रीमती निर्मला देवी, स०विंस० से प्राप्त अभ्यावेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है। इस क्रम में एन.टी.पी.सी. से विस्थापित पुलिस की गोली से घायल श्रीमती जुबैदा खातून को सहायता प्रदान किये जाने की माँग की गयी,
- ii- माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचनाओं का जवाब नहीं प्राप्त होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे संज्ञान में लिया गया,
- iii- माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द मण्डल द्वारा हवाई सहयोगी की संख्या बढ़ाये जाने की माँग की गयी,
- iv- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने अखबार में प्रकाशित समाचार बालूमाथ में दो पशु व्यापारियों को फाँसी दे दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

### 2. कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री प्रकाश राम, श्री अमित कुमार एवं श्रीमती निर्मला देवी से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के नियमानुकूल नहीं पाये जाने के फलस्वरूप आसन द्वारा इन्हें अमान्य कर दिया गया।

(भारी शोरगुल)

### 3. प्रश्नकाल:-

भारी शोरगुल के बीच केवल माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता द्वारा

→ शुरू

ठाकारी हि दिन श्रीनम कि ६०३०.८०.११-कोटी २ विषय संधिः २. इति श्रीनम -४  
विकासीही वि शिक्षा अत्यसूचित प्रश्न संख्या-७७ पूछा गया जो उत्तरित हुआ। शेष १५ (अ०८०-७८ से ९२  
तारा० १३३ वि नियम तक) प्रश्न अनागत हुए। अव्यवस्था की स्थिति में कुल तारांकित प्रश्न-६१ (तारा०-१३३ से  
१९३ तक) नहीं लिये जा सके।

इस बीच झारखण्ड मुकित मोर्चा के अधिकांशतः माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए  
सदन की बेल में आ गये जिससे अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी अतएव सदन की  
कार्यवाही ११.३१ बजे पूर्वो से लेकर १२.१५ बजे अप० तक के लिए स्थगित कर  
दी गयी।

#### (स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्रीमती निर्मला  
देवी पूर्व की भाँति सदन की बेल में आकर न्याय की गुहार लगाने लगी। माननीय सदस्य,  
श्री अनन्त कुमार ओड्जा ने अपने स्थान से खड़े होकर साहेबगंज में "पॉपुलर फॉन्ट" नामक  
संस्था द्वारा देशब्रोही नारा लगाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इस क्रम में  
पुनः झारखण्ड मुकित मोर्चा के कतिपय माननीय सदस्य पूर्व से चले आ रहे मामले को लेकर  
नारेबाजी करते हुए सदन की बेल में आ गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा। अतएव  
अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही १२.२२ बजे अप० से लेकर  
२.०० बजे अप० तक स्थगित कर दी गयी।

#### (अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

i- इस अवसर पर पुनः श्रीमती निर्मला देवी सदन की बेल में आकर धरने पर बैठ गयी, परन्तु  
माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन के निरेश से समझाये जाने पर  
वे अपने स्थान पर चली गयीं,

ii- माननीय सदस्य, श्री संजीव सिंह ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि  
जाकिर की तुलना बाबा रामदेव से किये जाने सम्बन्धी समाचार टी.वी. पर आ रहा है जिसमें  
विधायक, डॉ० इरफान अंसारी का नाम बताया जा रहा है, इसका समर्थन माननीय सदस्य,  
श्री जानकी प्रसाद यादव सहित सत्तापक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने भी किया। लेकिन,  
माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने इसका खण्डन करते हुए स्पष्ट किया कि वह कोई  
दूसरा इरफान अंसारी है, ना कि माननीय विधायक। इसका समर्थन कई माननीय सदस्यों ने भी  
किया,

iii- देवघर में श्री दयाशंकर द्वारा दलितों को अपमानित किये जाने सम्बन्धी विषय की ओर आसन  
का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस अवसर पर पुनः श्रीमती निर्मला देवी बेल में आकर न्याय  
की गुहार लगाने लगीं,

iv- आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि माननीय सदस्य, श्रीमती निर्मला देवी के  
मामले में स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा  
प्रतिवेदन दिये जाने के उपरांत यदि उसमें त्रुटि होगी, उसपर गम्भीरता से विचार किया जायेगा,  
लेकिन माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं डॉ० इरफान अंसारी ने इस विषय पर सदन की  
सर्वदलीय समिति बनाये जाने की माँग की,

क० प० औ० औ०

(३)

v- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने दिनांक-27.07.2016 को माननीय मंत्री, श्री नीलकण्ठ (८५ मि डॉ-मुण्डा) द्वा र सिंह मुण्डा द्वारा कहे गये "जे.एम.एम. मर गया है" शब्द को कार्यवाही से बिलोपित करने हैं (११०-४३०) १०-५० हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन आसन द्वारा इसपर किसी प्रकार का नियमन नहीं दिया गया।

#### 4. विधायी कार्य:-

प्रथम कार्य खण्ड-१ विधेयक, 2016  
कि एवं श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निर्बंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-२ एवं ३, अनुसूची(खण्ड-४), खण्ड-१, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा कार्य एवं स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा संशोधन का प्रस्ताव वापस लिया गया।

#### ख. पिछडे वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री, कार्यिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-२, खण्ड-१, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा संशोधन का प्रस्ताव वापस लिया गया।

#### ग. झारखण्ड सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत एवं श्री प्रदीप यादव द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव के आलोक में इनके अतिरिक्त माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन सहित सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर, राज सिन्हा, हुलू महतो, स्टीफेन मराण्डी तथा श्री शिवशंकर उरंव ने भी अपने विचार दिये और इसे वापस लेने अथवा प्रवर समिति में भेजे जाने हेतु आग्रह किया।

उक्त क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आसन विधेयक के पक्ष में तथ्य रखे गये, लेकिन भारी शोरगुल होने लगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने भी प्राप्त संशोधनों पर विचार किये जाने हेतु आसन से आग्रह किया।

सदन की भावनाओं को देखते हुए आसन द्वारा "झारखण्ड सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016" को दो माह के भीतर जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रवर समिति को सौंपा गया।

कृ० ४०३०  
→

(4)

च. झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

च. झारखण्ड भवन (पटटा एवं किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

5. नियमावली का उपस्थापनः-

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा “झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015” की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6. सभा पटल पर कागजात का रखा जाना:-

सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही शुरुवात, दिनांक-29.07.2016 के 11.00 बजे पूर्वांतर तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

विनय कुमार सिंह,

दिनांक- 28, जुलाई, 2016 ई०।

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

—×—